बाल संरक्षण पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

बच्चों के लिए किशोर न्याय अधिनियम को पारित होना बच्चों के सर्वोत्तम विकास के साथ-साथ सुरक्षा और संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण कदम है बच्चों का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके इसके लिए सरकार, माता-पिता एवं समुदाय की भी जवाबदेही है। इसे पूरा किया जाना हम सभी का सामुहिक दायित्व है।

1. बाल कल्याण समिति किस अधिनियम के तहत गठित किया गया है?

उ. बाल कल्याण समिति किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अधीन देख-रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के हित में शक्तियों का प्रयोग करने और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है।

2. बाल कल्याण समिति में कितने सदस्य होते है?

उ. बाल कल्याण समिति में कुल पाँच सदस्य होते हैं जिनमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं। सभी पाँचों सदस्यों में कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य होता है।

3. बाल कल्याण समिति क्या कोई गैर सरकारी संस्था है?

उ. बाल कल्याण समिति किशोर न्याय बालकों के देख-रेख संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत बच्चों के उचित देख भाल, संरक्षरण, विकास उपचार एवं पूर्नवास के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एक प्रधिकार है।

4. क्या माता-पिता अपने बच्चे को बाल कल्याण समिति को सौंप सकते है अगर बच्चा घर में अनियंत्रित व्यवहार करता है?

उ. अगर ऐसा बच्चा समिति में प्रस्तुत किया जाता है तो समिति एक परामर्शी की भूमिका निभाती है। साथ ही साथ समिति किशोर को व्यवहार में परिवर्तन हेतु उचित परामर्शी संस्थाओं की मदद का व्यवस्था करने हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई का सहयोग ले सकते है।

5. क्या समिति में प्रस्तुत बच्चे को आर्थिक सहायता किया जा सकता है? (सरकारी मदद दिलाई जा सकती है।)

उ. वैसे बच्चे जिन्हें किसी तरह की जरूरत है समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है वैसे स्थिति मे समिति जिला बाल संरक्षर इकाई को निर्देश दे सकती है कि बच्चे को उचित पुनर्वास के संबंध में आवश्यक सहायता मुहैया करायें।

6. बाल कल्याण समिति के समक्ष किस तरह के तथा कैसे किशोर को उपस्थित/प्रस्तुत किया जाता है?

उ. बाल कल्याण समिति के समक्ष देख रेख एवं संरक्षण वाले बच्चें को पुलिस,

संस्था चाईल्ड लाइन, नागरिक, व्यक्ति, द्वारा एवं स्वंय बच्चा भी अपने संरक्षण के लिए उपस्थित होकर मदद माँग सकता है।

7. किन-किन श्रेणी के बच्चे देख-रेख एवं संरक्षण के अन्तर्गत आते है?

उ. देख-रेख एवं संरक्षण वाले बालक से अभिप्रेत है जो बच्चे स्टेशन पर घुमता हो, नशा कर रहा हो, भीख माँगता हो, ट्रेन में झाड़ू लगाता हो, किसी दूकान या घर में नियोजित हो, बच्चे का माता-पिता नहीं हो या बच्चें को चोट लगा हो, बेसहारा हो, मानसिक या शरीरिक रोग से ग्रसित हो, लैगिक दुव्यवहार, प्रताड़ना, शोषण हो रहा हो या होने की संभावना हो इस तरह के बच्चें इस श्रेणी में आते है।

8. क्या सात वर्ष से कम उम्र के किशोर पर किसी प्रकार का (FIR) मुकदमा दर्ज किया जा सकता है?

उ. नहीं क्यों कि भा.द. विधान (IPC) के धारा 82 के अन्तर्गत 7 वर्ष से कम उम्र के नागरिग/बालक को किसी भी अपराधी गतिविधि से मुक्त किया गया है इस संदर्भ में माना जाता है कि इस उम्र के बच्चे मानसिक रूप से अपरिपक्ता है अतः उन पर मुकदमा नहीं हो सकता है।

9. क्या देख रेख एवं संरक्षण वाले बच्चे को हथकड़ी लगाकर प्रस्तुत किया जायेगा?

उ. किसी भी परिस्थिति में किसी भी किशोर को जिसकी आयु 18 साल से कम हो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अन्तर्गत किशोर को हथकड़ी लोहे की सिकरी या चेन रस्सा लगाना कानून के खिलाफ है।

10. क्या विधि विवादित बच्चे के पुर्नवास के संदर्भ में भी बाल कल्याण समिति कार्य कर सकेगा?

उ. हाँ जहाँ जाँच के उपरान्त किशोर न्याय परिषद् का यह समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लाये गयें बालक ने कोई अपराध कारित नहीं किया है वैसी स्थिति में परिषद् उक्त बालक को यदि उसके माता-पिता परिवार नहीं हो तो उसे देख भाल और संरक्षण का जरूरत मंद बच्चा मानते हुए उपयुक्त निर्देशों के साथ समिति निर्दिस्ट करेगा तथा समिति उक्त बच्चे का वैयक्तिक देख भाल योजना पर आधारित देख-भाल और संरक्षण की आवश्यकता में बालकों की देख भाल संरक्षण, पुर्नवास, अथवा प्रत्यावर्तन को सुनिश्चित करना और इस संबंध में माता-पिता अथवा संरक्षण अथवा उपयुक्त व्यक्ति अथवा बाल गृह अथवा उपयुक्त सुविधा के लिए आवश्यक निर्देश पालन करेगा।